कार्यकारी सारांश

इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य

डीबीटी एक प्रमुख सरकारी सुधार पहल है जिसमें सही लाभार्थियों को धन के सरल और तेज प्रवाह की परिकल्पना की गई है । कोविड-19 महामारी के प्रकोप, लॉकडाउन और सामाजिक दूरियों के मानदंडों को लागू करने के साथ, डीबीटी लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने में एक वरदान के रूप में उभरा है । इस निष्पादन लेखापरीक्षा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत दो योजनाओं यथा मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना को सम्मिलित किया गया । लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों की व्याप्ति, पहचान, दक्षता और भुगतान प्रक्रिया की रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित किया । लेखापरीक्षा का उद्देश्य डीबीटी के मध्यवर्ती स्तर, अभीष्ट लाभार्थियों को भुगतान में देरी और छीजत और दोहराव को कम करने हेतु कार्यान्वयन में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन एवं मूल्यांकन करना था ।

लेखापरीक्षा ने यह भी जांचा कि क्या डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था और लाभार्थियों को वास्तव में लाभ प्राप्त हुए ।

इसके अलावा, राजएसएसपी[1] के डेटा डंप का विश्लेषण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि क्या योजना का डेटा विश्वसनीय, सटीक और पूर्ण था, सभी लाभार्थियों के डेटा को डिजिटाइज़ किया गया था, लाभार्थी डेटा में त्रुटियों को रोकने के लिए नियंत्रण मौजूद थे और असफल संव्यवहारों की निगरानी, अनुश्रवण और मिलान किया गया था ।

संक्षेप में परिणाम

पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान में विलम्ब हुआ जिसके कारण लाभार्थी विलंबित अवधि के लिए योजना के लाभों से वंचित रहे । पेंशन उन आवेदकों को स्वीकृत की गई जिन्होंने आवेदन की तिथि पर पात्रता की न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी जबकि कुछ मामलों में पात्र आवेदकों के आवेदन रद्द कर दिए गए थे, जो निगरानी की विफलताओं को दर्शाता है ।

भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया सुदृढ़ नहीं पाई गई । विभाग के पास अपात्र मामलों को हटाने और गलत भौतिक सत्यापन के मामलों की पहचान करने के लिए लाभार्थियों की पात्रता की आवधिक समीक्षा के लिए प्रणाली का अभाव था ।

स्वतः स्वीकृत आवेदनों की अनिवार्य पश्च-लेखापरीक्षा नहीं की गई थी और अपात्र स्वतः स्वीकृत आवेदनों के पेंशन भुगतान के मामलों में वसूली लंबित थी । जिन लाभार्थियों के पास विशिष्ट

[1] राजएसएसपी पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जाता है ।

आईडी नहीं है, उन्हें दोहरी पेंशन का भुगतान किया गया।

राजएसएसपी के प्रणालीगत मुद्दे जैसे मल्टी-फैक्टर औथेन्टिकेशन की कमी, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अद्यतन की कमी और बिजनस कन्टीन्युटी प्लान / डिजास्टर रिकवरी प्लान के कार्यान्वयन में कमी एवं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कंट्रोल्स में भी कमियां देखी गयीं।

राज्य डीबीटी पोर्टल पर राज्य की डीबीटी योजनाओं के महत्वपूर्ण विवरण नहीं थे जैसे कि योजना में लाभार्थियों की संख्या, लाभार्थियों को हस्तांतरित राशि, माह-वार/वर्ष-वार डीबीटी हस्तांतरण, डीबीटी के कारण बचत आदि।

सीएमओएएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस से संबंधित शिकायतों/प्रश्नों के निपटान में भारी देरी पाई गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष और अनुशंसाएं

अध्याय-वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष आधारित लेखापरीक्षा सार और अनुशंसाएं इस प्रकार हैं।

अध्याय II: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में डीबीटी का कार्यान्वयन

- मृत लाभार्थियों को 'जीवित' सत्यापित किया जाना, जीवित लाभार्थियों की पेंशन 'मृत' के रूप में गलत तरीके से सत्यापित होने पर रोक लेना और सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए आवेदकों को 'सत्यापित' चिह्नित कर भुगतान करते रहना जैसी अनियमितताएं लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली में पाई गई।

(अनुच्छेद 2.5)

- स्व-सत्यापन/स्वीकृति के प्रकरण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पश्च-लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी उन प्रकरणों में निर्धारित नहीं की जा रही थी जहाँ स्वतः सत्यापन/स्वीकृति के कारण गलत पेंशन का भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 2.6)

- विशिष्ट आईडी को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) से लिंक नहीं किया गया था जिसके कारण लाभार्थियों का दोहराव हुआ और पेंशन के दोहरे भुगतान के मामले सामने आए। विभाग सभी लाभार्थियों के लिए विशिष्ट आईडी प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रयास और उनके पीपीओ को इन विशिष्ट आईडी से जोड़ने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 2.8)

- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों जैसे मल्टी-फैक्टर औथेन्टिकेशन की कमी, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अद्यतन की कमी और बिजनस कन्टीन्युटी प्लान / डिजास्टर रिकवरी प्लान के कार्यान्वयन की कमी को देखा गया।

(अनुच्छेद 2.10)

अनुशंसाएं:

- *पेंशन नियमों को जन-आधार के अनुरूप किया जाए क्योंकि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पात्रता संबंधी जानकारी जन-आधार से प्राप्त की जा रही है।*
- *राजएसएसपी में एक ऐसी विशेषता सम्मिलित की जाए जो जन-आधार डेटाबेस में लाभार्थी के पात्रता सम्बन्धी विवरणों के संशोधन से जुड़े मामलों को विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए उजागर करे।*
- *गलत सत्यापन और स्वीकृति के मामलों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएं।*
- *वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रणाली में प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों की पात्रता का व्यापक मूल्यांकन और बैंक खाता संख्या जैसे मूलभूत विवरणों का सत्यापन सम्मिलित किया जाए।*
- *राजएसएसपी पर पात्र लाभार्थियों के सीएमओएएसपीएस से सीएमईएनएसपीएस में स्वतः स्थानान्तरण की सुविधा लागू हो और इस सुविधा को 'विधवाओं' के अलावा 'परित्यक्ता' और 'तलाकशुदा' लाभार्थियों तक भी पहुंचाया जाए। सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरण के लिए पात्र सीएमओएएसपीएस के लाभार्थियों के संबंध में राजएसएसपी पर एक एमआईएस रिपोर्ट ऐसे स्थानांतरणों में किसी भी बकाया की निगरानी के लिए सहायक हो सकती है।*
- *यह सुनिश्चित किया जाए कि शेष लाभार्थियों की जन-आधार आईडी राजएसएसपी पर अद्यतन की गई है और सभी पीपीओ को समयबद्ध तरीके से जन-आधार आईडी से जोड़ा जाए ताकि राजएसएसपी डुप्लीकेट लाभार्थियों तथा दोहरे भुगतान के मामलों का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम हो।*
- *डेटा सुरक्षा, सटीकता, वैधता सुनिश्चित करने और योजनाओं के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन में राजएसएसपी की क्षमता को बढ़ाने के लिए राजएसएसपी के एप्लीकेशन कन्ट्रोल्स में खामियों को दूर करने के प्रयास किये जाएं।*
- *विभाग के आईटी सिस्टम में डेटा की वैधता, अखंडता और सुरक्षा जैसे पहलुओं की समर्पित और केंद्रित तरीके से निगरानी और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जा सकता है।*

अध्याय III: राज्य में डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन

- राज्य डीबीटी पोर्टल (जन-आधार पोर्टल) को डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं किया गया था। राज्य डीबीटी योजनाओं के महत्त्वपूर्ण विवरण जैसे लाभार्थियों की संख्या, प्रति लाभार्थी लाभ हस्तांतरण की राशि, माह-वार/वर्ष-वार डीबीटी हस्तांतरण, और डीबीटी के कारण बचत आदि पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थे। यह भी देखा गया कि राज्य

डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं के सीमित डेटा को वास्तविक समय में अद्यतन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.1)

- राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ योजना/विभाग विशिष्ट आईसीटी एप्लीकेशन के विकास में सम्मिलित नहीं था और ऐसे एप्लीकेशन्स का विकास संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा था। राज्य के कार्मिकों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला भी आयोजित नहीं की गई।

(***अनुच्छेद 3.2 एवं 3.3***)

अनुशंसाएं

राज्य सरकार:

- *राज्य डीबीटी पोर्टल पर राज्य में सभी डीबीटी योजनाओं की योजना-वार जानकारी की उपलब्धता तथा डीबीटी भारत पोर्टल के साथ इसकी उचित लिंकिंग सुनिश्चित कर सकती है।*
- *राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ को राज्य के डीबीटी से संबंधित मामलों के लिए नोडल बिंदु के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी सहायता का प्रावधान करे।*

अध्याय IV: अभीष्ट लाभार्थियों को लाभों का वितरण और शिकायत निवारण तंत्र

- पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के विपरीत पेंशन का भुगतान काफी देरी से किया गया।

(***अनुच्छेद 4.1***)

- अधिक/अनियमित पेंशन भुगतान से संबंधित वसूली लंबित थी।

(***अनुच्छेद 4.2***)

- लाभार्थियों को असफल भुगतान के बारे में सूचित करने के लिए प्रावधान नहीं होने के साथ पेंशन भुगतान असफलताओं को दूर करने की प्रक्रिया में कमियां देखी गईं और लाभार्थियों को विवरण के सुधार के लिए अनावश्यक चरणों के साथ लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा था।

(***अनुच्छेद 4.3***)

- डीबीटी प्रकोष्ठ/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा डीबीटी से संबंधित शिकायतों और लाभार्थियों की शिकायतों से निपटने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की गई थी। राजएसएसपी पर सीएमओएएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस से संबंधित पंजीकृत शिकायतों/प्रश्नों के निपटान में काफी बकाया पाया गया।

(***अनुच्छेद 4.4 एवं 4.5***)

अनुशंसाएं

राज्य सरकार:

- *विलंबित भुगतान के कारणों का विश्लेषण और पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करे;*
- *लाभार्थियों को पेंशन भुगतान विफलता के प्रकरणों में एसएमएस जैसे माध्यमों से आवश्यक जानकारी देने के साथ सहायता प्रदान करे;*
- *लाभार्थी विवरण के सुधार की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कदम उठाएं ताकि जन-आधार विवरण, उचित सत्यापन के बाद अद्यतन होने पर, जन-आधार से जुड़े सभी पेंशन भुगतानों के लिए स्वतः स्वीकृत हो जाएं;*
- *शिकायतों/ परिवेदनाओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करने के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करे।*